



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.950

मद/For Item : “लार्ज साइज अल्युमिनियम अलॉय फोर्जिंग्स”
Large size Aluminum alloy forgings

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एच.ए.एल(ए आर डी सी) और ए.डी.ए, बंगलोर के साथ मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एफ एण्ड एफ), बंगलोर-560 017 ने माडिफाईड 'सी' प्रोसेस के द्वारा विकसित तथा उत्पादित, एचई15ए अलॉय के “लार्ज साइज अल्युमिनियम अलॉय फोर्जिंग्स” जो कि एल सी ए वायुयान के लार्ज साइज्ड अल्युमिनियम अलॉय एयरफ्रेम अवयवों के उत्पादन में काम आता है उसे अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए (एफ एण्ड एफ), बंगलोर - 560 017 के समन्वय से टेस्ट शीट सं.एफडीटी-3556 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न “वर्गरिकार्ड कंप्लायड स्टेटमेन्ट” में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that the “Large size Aluminum alloy forgings” of HE15A alloy, developed and manufactured through modified “C” process by M/s Hindustan Aeronautics Limited (F&F), Bangalore 560017, in association with M/s HAL (ARDC) and ADA Bangalore, are hereby approved for production for manufacturing large sized aluminum alloy airframe components used in LCA. These have been evaluated as per Test sheet No.FDT-3556 at M/s HAL F&F Division, Bangalore, in co-ordination with RCMA (F&F), Bangalore. These forgings meet the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compilation statement enclosed at Appendix 'A'.

Flag 'A'

Flag - C

Flag 'B'

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2004 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(एफ एण्ड एफ) से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2004 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (F&F), for subsequent renewal three months before the expiry of type approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification, (CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट'-ए', /Appendix-'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 950

दिनांक/Date : 18th March 2002

फेक्स सं/Fax No : 080-5230856

(जे.के.शर्मा/J.K SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

14/02/02 14/02/02